राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक : एफ (1)/1(208) आ.उ./पीएडी अनु./मृ.आ.नि./2019 दिनांक : 20-01-2020

:: आदेश ::

श्री ईश्वर सिंह जो कानि. 270, जो 14वीं बटालियन आरएसी, पहाडी, भरतपुर में कार्यरत थे, का आकस्मिक निधन दिनांक 19.05.2018 को राजकीय सेवा में रहते हुए हो गया था। श्रीमती सुमन कंवर उनकी पत्नी है और उन पर पूर्णतः आश्रित थी। श्रीमती सुमन कंवर ने राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु गृह विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन किया था किन्तु उक्त विभाग में श्रीमती सुमन कंवर की योग्यता के अनुरूप कोई पद रिक्त नहीं होने के कारण इनका आवेदन कार्मिक विभाग ने उद्योग विभाग मे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद नियुक्ति हेतु प्राप्त हुआ है। श्रीमती सुमन कंवर उद्योग विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य पाई गई है।

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती सुमन कंवर की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की जाती है। श्रीमती सुमन कंवर का पदस्थापन कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, कोटा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद के प्रति किया जाता है।

श्रीमती सुमन कंवर को राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 1999 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अस्थाई आधार पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक 12400/–रूपये प्रतिमाह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होंगे। तत्पश्चात् परिवीक्षाधीन अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम–2017 के पे–मेट्रिक्स लेवल–1 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन तथा नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

श्रीमती सुमन कंवर की जन्मतिथि रा0उ0मा0 विद्यालय, देवली गांव टी.सी. (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) के आधार पर 06.10.1986 है तथा इनकी शैक्षणिक योग्यता 7 वीं कक्षा उत्तीर्ण है। श्रीमती सुमन कंवर प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार एमपीबी 131, महावीर नगर–I, कोटा, राजस्थान की मूल निवासी है।

नियुक्ति की शर्ते :–

1. यह नियुक्ति अस्थाई है। अभ्यर्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 1999 के प्रावधानानुसार 2 वर्ष तक परिवीक्षाधीन अवधि में रहेगा।
2. परिवीक्षा अवधि में कोई कोई वार्षिक वेतनवृद्धियां देय नहीं होगी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. नियुक्ति आदेश जारी होने से 4 सप्ताह तक की अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
5. राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) राज., जयपुर की अधिसूचना दि. 27.2.2001 के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण नहीं करने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) के आदेश दिनांक 20.6.01 के अनुसार यदि श्रीमती सुमन कंवर के दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होने के कारण यह नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जायेगा।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

7. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
8. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या प.13(1)वित्त/नियम/2013 दि.28.01.2004,27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
आयुक्त, उद्योग

कमांक : एफ (1)/1(208) आ.उ./पीएडी अनु./मृ.आ.नि./2019 दिनांक : 20-01-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0, जयपुर को उनके पत्र कमांक प.12(5) कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 21.08.19 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–1) विभाग, राज0, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटा को **रजिस्टर्ड डाक** द्वारा प्रेषित कर लेख है कि श्रीमती सुमन कंवर के मूल चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु संलग्न है। **पुनर्विवाह नहीं होने** संबंधी शपथ पत्र एवं सन्तान संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करें तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों की एक सत्यापित प्रति प्राप्त कर उसकी पुष्टि करेंगे व कार्मिक के कार्यग्रहण की सूचना नियुक्ति शाखा, मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
4. उप निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर अनुभाग), मुख्यालय,जयपुर।
5. श्रीमती सुमन कंवर पत्नी स्व0 श्री ईश्वर सिंह, निवासी–एमपीबी 131,महावीर नगर–प्रथम, कोटा, राजस्थान को सूचनार्थ एवं पालनार्थ **रजिस्टर्ड डाक** द्वारा प्रेषित है।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक, उद्योग
(प्रशासन)